



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

17 चैत्र 1932 (श०)
(सं० पटना 233) पटना, बुधवार, 7 अप्रैल 2010

बिहार विधान-सभा सचिवालय

अधिसूचना

30 मार्च 2010

सं० वि०स०वि०-०५/२०१०-११४१/वि०स०।—“न्यायालय फोस (बिहार संशोधन) विधेयक, 2010”, जो बिहार विधान-सभा में दिनांक 30 मार्च, 2010 को पुरःस्थापित हुआ था, बिहार विधान-सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-116 के अन्तर्गत उद्देश्य और हेतु सहित प्रकाशित किया जाता है।

सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा,

सचिव,

बिहार विधान-सभा।

[विंस०वि०-9/2010]

न्यायालय फीस (बिहार संशोधन) विधेयक, 2010

बिहार राज्य में लागू होने के लिए न्यायालय फीस अधिनियम, 1870 (1870 का VII)

का संशोधन करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के इक्सठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो : -

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ।— (1) यह अधिनियम न्यायालय फीस (बिहार संशोधन) अधिनियम, 2010 कहा जा सकेगा।
 (2) यह सम्पूर्ण बिहार राज्य में लागू होगा।
 (3) यह तुरत प्रवृत्त होगा।
2. न्यायालय फीस अधिनियम, 1870 की अनुसूची—I एवं II में संशोधन।—न्यायालय फीस अधिनियम, 1870 की अनुसूची—I एवं अनुसूची—II के अधीन पैसे में आकलित भुगतेय शुल्क रूपए में पूर्णांकित किया जाएगा।

वित्तीय संलेख

फ्रैंकिंग मशीन अथवा अन्य विधि से भुगतान की जाने वाली न्यायालय फीस की राशि रूपए में पूर्णांकित की जाएगी। इससे न्यायालय शुल्क से प्राप्त होने वाली आय में लगभग 2-3 लाख की नगण्य वृद्धि होगी परन्तु न्यायालय फीस का भुगतान सरल होगा। विधेयक के प्रस्ताव पर वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है।

(विजेन्द्र प्रसाद यादव)

भारसाधक सदस्य

उद्देश्य एवं हेतु

न्यायालय शुल्क की राशि के भुगतान में पैसों को रूपए में पूर्णांकित कर भुगतान की प्रक्रिया को सरल बनाना ही इस विधेयक का उद्देश्य है। जिसे अधिनियमित कराना ही इस विधेयक का अभीष्ट है।

(विजेन्द्र प्रसाद यादव)

भारसाधक सदस्य

पटना

दिनांक 30 मार्च, 2010

सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा,

सचिव,

बिहार विधान-सभा।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 233-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>